

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक- 9.4.26

संख्या-12/निजी-70209/2023 सा0प्र0- 6470 /श्रीमती अनु कुमारी, बि0प्र0से0 (को0 क्र0-755/24), विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को उनके प्रथम संतान की देखभाल हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के तहत दिनांक-13.04.2026 से दिनांक-10.10.2026 तक कुल-181 (एक सौ इक्यासी) दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती कुमारी को उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त कुल-730-181=549 (पाँच सौ उनचास) दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी शेष आदेय होगी।

3. श्रीमती कुमारी को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने संबंधी वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70209/2023 सा0प्र0- 6470 /पटना, दिनांक- 9.4.26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती अनु कुमारी, बि0प्र0से0 (को0 क्र0-755/24), विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।